

A Special Lok Adalat on MACT Cases and Monthly Lok Adalat for the month of May on 08.06.2024 in Civil Court, Giridih.



In picture **Ld. Sri Rajesh Kumar Bagga - District & Sessions Judge – IX** (in the middle of table), **Sri Bipin Yadav – Panel Advocate ,DLSA**, **Sri K.S. Murty, Mediator, Civil Court, Giridih** .





व्यवहार न्यायालय में विशेष और मासिक लोक अदालत का आयोजन दुर्घटनावाद के 24 मामलों का निष्पादन 1.81 करोड़ रुपये का हुआ समझौता

□ कई अन्य मामलों का भी निष्पादन
प्रतिष्ठिति, गिरिडीह

एर चोरी
द
पुलिस ने
ह के एक
किया है.
थानांतर्गत
खाला मो
ह. सरताज
गुक्रवार की
डि रोड से
नकारी देते
नेश प्रसाद
गत करीब
नी सुमित
स्टैंड को
गत करते
क होटल
क सवार
भागने
गहनी
दोनों
देड़ा.
को
विक
राज
ना
क
)
रेर

गिरिडीह ब्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को विशेष लोक अदालत व मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज प्रसाद के मार्गदर्शन व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सोनम बिशनोई के नेतृत्व में आयोजन हुआ. मनोज प्रसाद ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत का आयोजन आमजनो एवं पक्षकारों को मोटर दुर्घटनावाद मामले का निष्पादन पक्षकारों को सहमति से करने के लिए झालसा रांची के निर्देश पर किया गया. कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ न्यायालय का बोझ भी कम होता है. आमजनो एवं पक्षकारों को इस विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन करवाने के लिए बधाई दी. कहा कि न्यायालय के द्वारा समय-समय पर लगाये जा रहे इस प्रकार के आयोजनों में शामिल होकर



विशेष लोक अदालत में उपस्थित न्यायिक पदाधिकारी व अन्य. फोटो: प्रकाश खबर

अपने मामलों को निष्पादित कराये तथा अपने समय व धन की बचत करें. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सोनम बिशनोई ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत की महत्ता एवं जन-जन तक इसकी पहचान को प्रदर्शित करता है. गिरिडीह न्यायमंडल ने इस विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए लगातार काम किया. इसे सफल बनाने के लिए संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों, बीमा कंपनी के अधिकारी, विद्वान पैनल अधिकारियों के साथ मीटिंग की गयी थी. साथ ही

संबंधित न्यायालयों के द्वारा पूर्व से ही मामलों को चिह्नित कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस के माध्यम से सूचना प्रदान किया गया. आठ पीठों का किया गया था गठन: बताया गया कि लोक अदालत के लिए कुल आठ पीठों का गठन किया गया था. पीठासीन पदाधिकारियों ने लोक अदालत के दिन आवंटित मामलों को निष्पादित किया. विशेष लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद के 24 मामलों में 1 करोड़ 78 लाख 75 हजार, बिजली विभाग के कुल 18 मामले, सुलहनीय

राशि 37 हजार व एनएचएक्ट चेक बाउंस के कुल एक मामले में सुलहनीय राशि 1.16 लाख तथा अन्य निष्पादित वादों में 93 हजार 600 रुपये राजस्व को प्राप्ति हुई. बताया गया कि इस विशेष लोक अदालत के साथ कई माह के लिए मासिक लोक अदालत का भी आयोजन किया गया, जिसमें न्यायालय में लंबित विभिन्न वादों का निष्पादन संबंधित पीठों के द्वारा किया गया. मोटर दुर्घटना वाद के 24 मामलों सहित बिजली, चेक बाउंस एवं अन्य वादों के कुल 88 मामलों का निष्पादन

हुआ तथा कुल सुलहनीय राशि 1 करोड़ 81 लाख 21 हजार 600 सौ रूपए रही. इस विशेष लोक अदालत एवं मासिक लोक अदालत को सफल बनाने में मुख्य रूप से जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय एस एन सिकंदर, जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवम राजेश कुमार बग्गा, अवर न्यायाधीश (वरीय कोर्ट) सीमा कुमारी मिंज, न्यायाधीश प्रभारी गिरिडीह मोहम्मद दानिश नवाज सहित गिरिडीह न्यायमंडल के सभी न्यायिक व विभिन्न विभागों के, पदाधिकारी, न्यायालय के कर्मचारियों, पारा लीगल वालंटियर्स सहित पक्षकारों की सराहनीय भूमिका रही.

प्रेजा फाउंडेशन द्वारा संचालित ए.एन.एम. कांसिल कौटिल कॉलेज
नामिकन सूचना
इच्छुक उम्मीदवार
<http://app.prejha.org>
पर जोर देकर आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार मूलतः झारखंड के निवासी है, जिनकी उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष है, एवं

बेगाव
अभि
दुनुअ
गिरफ्त
शनिव
म
59/2
जाता
196
आमल
परा-
(Para
परा वि
अधि
(Vetor
Offic
रांची, ए
सफाई
लिए मि
रता

